



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त 1. सन्तराम पुत्र माता प्रसाद 2. कल्लू उर्फ टीकाराम पुत्र भागीरथ 3. हरिपाल पुत्र माता प्रसाद 4. फूल सिंह पुत्र तुलसीराम नि०गण ग्राम पहाड़पुरा थाना जालौन जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 638/18 (वाद संख्या- 93/18) धारा 363/366/376(2)(i)/504/506 भादवि एवं १/४ पोक्सो एक्ट 3(2)(5) a एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.09.2023 को पोक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 363/504/506 भादवि एवं 3(2)(5) a एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुये 05-05 वर्ष का कारावास एवं कुल 26,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल विश्वजीत सिंह गुर्जर



कोर्ट पैरोकार राहुल लबानियाँ

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice